उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-456/2025/392 के-2/22-3-2025-17(1469)/2023

लखनऊ: दिनांक: 17 सितम्बर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ध्रुवराज राय (बन्दी संख्या-05/2020) पुत्र श्री सूर्यबली, निवासी-मनरा, थाना-फूलपुर, जनपद-आजमगढ़, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-203/1988 में भा0द0वि0 की धारा-304, 326/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-07 आजमगढ़ के दण्डादेश दिनांक 02.11.2000 द्वारा 07 वर्ष कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील निर्णीत करते हुये मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12.09.2019 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 02.06.2023 तक भोगी गयी 02 वर्ष, 05 माह, 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष, 07 माह, 27 दिन की सपरिहार सजा, बंदी की आयु लगभग 78 वर्ष व जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़।

5- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़।

6- अधीक्षक, जिला कारगार, आजमगढ़।

7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनीस अख्तर अंसारी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in